

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1  
संख्या: /VII-A-1/2022-15 उद्योग/06  
देहरादून, दिनांक: 19 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1078/VII-A-1/2022-15 उद्योग/06, दिनांक 08 जुलाई, 2022 को अधिकमित करते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 78 के अन्तर्गत पुनरीक्षण, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 16 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अर्द्धन्यायिक प्रकरणों पर पुनरीक्षण/अपील, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 58 एवं नियम 60 एवं मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेशित प्रकरणों के अन्तर्गत शासन स्तर पर सुनवाई किये जाने हेतु अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन को एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. पूर्व संगत कार्यालय ज्ञाप 1078/VII-A-1/2022-15 उद्योग/06, दिनांक 08 जुलाई, 2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाये।

(डा० पंकज कुमार पाण्डेय)  
सचिव

संख्या: 1146 (1)/VII-A-1/2021-15 उद्योग/06 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
2. अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला खान अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. एन०आई०सी०/मीडिया सेन्टर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)  
अनु सचिव